



हमारा प्रयास
सबका आवास

‘उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद’ की कोटद्वार रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या -01 नजीबाबाद, जनपद बिजनौर में



नववर्ष के उपलक्ष में
60 नम आवासीय भूखण्डों का
ऑनलाइन/ ऑफलाइन पंजीकरण

**आवासीय भूखण्ड प्राप्त
करने का सुनहरा अवसर**

ऑनलाइन/ऑफलाइन पंजीकरण अवधि 05 जनवरी, 2021 से 05 फरवरी, 2021 तक

आवासीय भूखण्डों का विवरण

| क्र. सं. | योजना का नाम | आवासीय भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मी.) | आवासीय भूखण्डों की संख्या | अनुमानित भूमिदर (रु. प्रति.वर्ग मी.) | मानक भूखण्ड का मूल्य (रु.) | पंजीकरण धनराशि (रु.) |
|----------|--|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 1. | कोटद्वार रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना | 72.00 | 28 | 17,270.00 | 12,43,500.00 | 63,000.00 |
| 2. | | 127.50 | 08 | 17,270.00 | 22,02,000.00 | 1,11,000.00 |
| 3. | रेरा पंजीकरण संख्या UPRERAPRJ182578 | 162.00 | 16 | 17,270.00 | 27,97,800.00 | 1,40,000.00 |
| 4. | | 256.50 | 08 | 17,270.00 | 44,29,800.00 | 2,22,000.00 |
| | कुल | | 60 | | | |

नियम एवं शर्तें

- पंजीकरण से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी हेतु परिषद की वेबसाइट www.upavp.in पर उपलब्ध ई-पंजीकरण पुस्तिका देखें।
- समस्त भुगतान परिषद द्वारा अधिकृत बैंक से नगद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक, RTGS/ NEFT एवं ऑनलाइन के माध्यम से जमा किये जा सकते हैं। बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक 'उ.प्र. आवास विकास परिषद' / UPAVP के नाम देय हो, के पक्ष में होना चाहिये।
- एक मुश्त भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवेदकों को आवंटन में वरीयता दी जायेगी।
- आवंटन के पश्चात आवंटन पत्र निर्गमन तिथि से 45 दिन में भूखण्ड के मूल्य का पूर्ण भुगतान करने पर 5 % की विशेष छूट अनुमत्य होगी।
- न्यूनतम ब्याज दर पर किरातों की सुविधा।
- किसी भी भुगतान में विलम्ब की दशा में अवशेष धनराशि पर दिनांक 01.04.2020 को प्रभावी ब्याज दर पर MCLR (7.95%)+1% सामान्य ब्याज दर के साथ 2% अतिरिक्त ब्याज की दर से ब्याज देय होगा।
- आवंटी द्वारा समयानुसार भुगतान न करने पर परिषद नियमानुसार पंजीकरण/आवंटन के निरस्तीकरण एवं कटौती की कार्यवाही की जायेगी।
- परिषद विनियमों के प्राविधानों के किसी धारा-उपधारा के रहते हुए भी किन्ही विशेष परिस्थितियों में आवास आयुक्त का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
- रेरा से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी हेतु वेबसाइट : www.up.rera.in देखें।

ऑनलाइन / ऑफलाइन आवेदन हेतु सुविधा प्रदाता बैंक

एच.डी.एफ.सी. बैंक

श्री गंगा आइस फैक्ट्री, हरिद्वार रोड,
निकट मल्ला गोडाउन, नजीबाबाद, उ.प्र.
सम्पर्क करें: **अमित कुमार मिश्रा**
मो. नं. 8400888701, 8077927381

विस्तृत जानकारी के लिए सम्पर्क करें

सुश्री रुमा रतन

सम्पत्ति प्रबन्धक
रामपुर
मो. नं. 8795810741

श्री ए.वी. सिंह

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड रुहेलखण्ड-01
मुरादाबाद
मो. 6390900005

श्री प्रमोद कुमार

अधीक्षण अभियन्ता, बरेली जोन,
रुहेलखण्ड, मुरादाबाद,
मो. 8795810040

IS 15700:2005



(केविल प्रमाणित)

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ

website: <http://www.upavp.in>, E-mail : info@upavp.com



टोल फ्री

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें
1800-180-5333 दूरभाष **0522-2236803**
या परिषद की वेबसाइट पर लॉग इन करें।